

आवेदन पत्र क्रमांक.....

वर्ष 20....



मध्यप्रदेश शासन

---

निःशक्तजन के अभ्यर्थियों हेतु  
विदेशों में उच्च शिक्षा संबंधी योजना  
आवेदन-पत्र  
तथा  
अन्य प्रपत्र

---

आयुक्त, सामाजिक न्याय संचालनालय, म0प्र0

## अनुक्रमणिका

क्रमांक	विषय विवरण	पृष्ठ
1	म0प्र0 निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना 2008 योजना नियम	1 से 18
2	चयनित विद्यार्थियों की श्रेणीवार संख्या	1
3	पात्रता की शर्तें	2
4	आयु एवं आय संबंधी जानकारी	
5	आयु सीमा	2
6	चयन की पध्दति	15–16
7	आवेदन पत्र	19–21
8	साक्ष्यांकन फार्म	28–33
9	आय प्रमाण पत्र	24
10	जाति प्रमाण-पत्र (एस0सी0/एस0टी/ ओ0बी0सी0)	25–27
11	विकलांगता प्रमाण पत्र	22
12	मूल निवासी प्रमाण पत्र	23

मध्यप्रदेश शासन,  
सामाजिक न्याय विभाग,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ-3-36/2008/26-2

भोपाल दिनांक 12 अगस्त, 2008

निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिये विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दिये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार, निम्नलिखित योजना नियम बनाती है, अर्थात्:-

नियम

1. संक्षिप्त नाम— इस योजना का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना नियम, 2008 है।
2. योजना का उद्देशः— योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय विभाग के 2-2 अस्थिबाधित निःशक्त छात्र-छात्राओं, 2-2 श्रवणबाधित निःशक्त छात्र-छात्राओं एवं 2-2 दृष्टिबाधित निःशक्त छात्र-छात्राओं के चयनित विद्यार्थियों को विदेशों में विशिष्ट क्षेत्रों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों / शोध उपाधि (पी.एच.डी.) एवं शोध उपाधि उपरान्त शोध कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। जहाँ एक ओर लाभान्वित होने वाले सामाजिक न्याय विभाग के विद्यार्थियों द्वारा विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर विशिष्ट शैक्षणिक उपलब्धियाँ प्राप्त करने के अवसर सुलभ होंगे वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय विभाग के अन्य विद्यार्थी भी उनकी उपलब्धियों से आकर्षित होकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की दिशा में और अधिक अग्रसर होंगे।

सामाजिक न्याय विभाग द्वारा प्रतिवर्ष बारह छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाना प्रस्तावित है।

**3. पात्रता की शर्तें :-**

- (1) शोध उपाधि उपरान्त अध्ययन हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड) एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि (पी.एच.डी.)
- (2) शोध उपाधि (पीच.एच.डी.) हेतु संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी एवं संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अध्यापन/शोध/ व्यावसायिक अनुभव/एम.फिल.उपाधि।
- (3) स्नातकोत्तर उपाधि हेतु- स्नातक उपाधि में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य श्रेणी (ग्रेड)
4. आयु आवेदन किये जाने वाले वर्ष की 1 जनवरी को 35 वर्ष से कम, विशेष प्रकरणों में समिति द्वारा 10 वर्षों तक छूट दी जा सकेगी।
5. आय सीमा नियोजित उम्मीदवार की अथवा उसके परिवार/अभिभावक की सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 96,000/-की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
6. एक परिवार में एक अभ्यर्थी एवं एक बार उस परिवार अथवा अभिभावक के एक से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी, जिनके पुत्र या पुत्री को एक बार यह लाभ मिल चुका है। इस संबंध में अभ्यर्थी का स्वयं का प्रमाणीकरण

## छात्रवृत्ति

### 7. अन्य अनिवार्य शर्तें

आवश्यक होगा। एक बार छात्रवृत्ति प्राप्त कर चुके व्यक्ति के नाम पर दूसरी बार अथवा उसके उपरान्त छात्रवृत्ति देने हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(1) ऐसे अभ्यर्थी जो नियोजन में हैं, उन्हें अपने आवेदन नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ, [नियोक्ता से] अग्रेषित कराकर विज्ञापन में निर्धारित तिथि तक अथवा उसके पूर्व आयुक्त, सामाजिक न्याय, संचालनालय, 1250 तुलसी नगर, भोपाल को प्रेषित करना होंगे।

(2) अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को चयन की सूचना प्राप्त होने के तीन वर्षों की समयावधि में विदेशों के अधिमान्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करना होगा। इस निर्धारित अवधि की समाप्ति पर छात्रवृत्ति स्वतः निरस्त होकर समाप्त हो जायेगी। योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए समयवृद्धि का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थियों को अधिमान्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्राविण्यता (मेरिट) के आधार पर की जावेगी।

(3) चुने हुए अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश सरकार के पक्ष में उस पर व्यय की जाने वाली राशि अथवा पचास हजार रूपये, दोनों में से जो भी अधिक हो, का एक बंध पत्र गैर न्यायिक मुदांक पत्र पर नोटरी के समक्ष दो जमानतदारों से जो अलग-अलग जमानत पत्रक

भरेंगे, निष्पादित करना होगा। प्रत्येक बंध पत्र में विदेश में सम्पूर्ण अध्ययन के दौरान वृत्तिधारक पर विशिष्ट रूप से अनुमानित व्यय किये जाने वाले यात्रा खर्चे, शिक्षक शुल्क, निर्वाह एवं आकस्मिक भत्ते, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षुवृत्ति एवं अन्य फुटकर खर्चों का समावेश भारतीय रूपयों में होगा और यह राशि सुरक्षादाता द्वारा अथवा छात्रवृत्ति गृहीता द्वारा मध्यप्रदेश सरकार को पृथकतः और संयुक्त उस स्थिति में देय होगी यदि उसे उस योजना के प्रावधानों के अधीन चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है। इस बंधपत्र की भाषा मध्यप्रदेश शासन द्वारा तय की जायेगी और प्रत्याशी को स्वीकार्य होगी।

(4) चयनित प्रत्याशी को मध्यप्रदेश सरकार के साथ इस आशय का एक और बंधपत्र निष्पादित करना होगा कि पाठ्यक्रम के पूर्ण होने या छात्रवृत्ति की समयावधि की समाप्ति, दोनों में से जो भी पहले हो,के उपरान्त विदेश में नहीं रोका जा सकेगा। प्रत्याशी/ छात्रवृत्ति गृहिता उस समयावधि के उपरान्त जिसके लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई है विदेश में रहने की अनुमति नहीं मांगेगा। इस बंधपत्र की भाषा म.प्र. शासन द्वारा तय की जायेगी और प्रत्याशी को स्वीकार्य होगी।

(5) प्रत्याशी स्वीकृत किये गये अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा शोधचर्चा में परिवर्तन नहीं करेगा।

(6) प्रत्याशी को म.प्र.शासन के साथ एक और बंधपत्र निष्पादित करना होगा कि वह केन्द्र सरकार द्वारा विहित रूप में अभिलेख त्यजन स्वीकृति प्रपत्र पर हस्ताक्षर करेगा और प्रत्याशी को वह स्वीकार्य होगा।

(7) चयनित अभ्यर्थी म.प्र.शासन की पूर्व अनुमति के अध्यक्षीन जिसका निर्णय इस बारे में अंतिम होगा एवं जिसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी, अपनी रूचि के किसी ऐसे देश में स्थित मान्यता प्राप्त ऐसे संस्थान में अध्ययन जारी रख सकेंगे जिनके साथ भारत सरकार के राजनयिक संबंध है। योजना में विनिर्दिष्ट कार्यक्रम/क्षेत्रों में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश के लिए प्रत्याशियों को स्वयं प्रयास करना होंगे।

(8) सिद्धान्तः विवाहित प्रत्याशी अपने साथ अध्ययनकाल के दौरान अपने जीवनसाथी और बच्चों को नहीं ले जा सकेंगे और न ही बुला सकेंगे जब तक कि आकस्मिक परिस्थिति जैसे गंभीर बीमारी की दशा में म.प्र.शासन की विशिष्ट और प्रथमतः पूर्व अनुमति से इस शर्त में छूट न प्राप्त कर ली गई हो। म.प्र.शासन की ओर से छात्रवृत्ति गृहिता के साथ जाने वाले जीवनसाथी और बच्चों के लिए कोई खर्च देय नहीं होंगे।

(9) अभ्यर्थी द्वारा अपने नियोक्ता के साथ सेवाधीन संगठन के नियमानुसार समस्त प्रशासनिक मामलों

यथा अवकाश वेतन आदि का निबटारा सीधे ही किया जायेगा। म.प्र.शासन की इस बारे में कोई जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही इस बारे में कोई सहायता दी जायेगी।

(10) आकस्मिकता की दशा में, जहाँ छात्रवृत्ति गृहिता का विपरीत परिस्थिति से सामना करने के लिए कुछ समय के लिए भारत लौटना अपरिहार्य हो, उसे वैसा करने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते कि संबंधित शैक्षणिक संस्थान को इस बारे में अवगत करा दिया गया हो, तथापि ऐसे आगमन के लिए छात्रवृत्ति गृहिता को आने-जाने का यात्रा व्यय स्वयं वहन करना होगा एवं विदेश स्थित अपने शैक्षणिक संस्थान के स्थान से बाहर रहने की अवधि में योजना के अन्तर्गत निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता नहीं होगी ओर ऐसा निर्वाह भत्ता पुनः उसी दिनांक से देय होगा, जब छात्रवृत्ति गृहिता उसी संस्थान में अपना कार्य प्रारम्भ कर दे। घर पर आकस्मिकता का सामना करने के तुरन्त बाद, जितनी जल्दी संभव हो छात्रवृत्ति गृहिता को अपने शैक्षणिक संस्थान में लौट जाना होगा। ऐसा न कर पाने की दशा में उसे चूककर्ता घोषित किया जा सकेगा और उसके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई संस्थित की जा सकेगी।

(11) इस योजना के उपरान्त छात्रवृत्ति का उपभोग कर चुके समस्त अभ्यर्थियों के लिए भारत लौटना



आवश्यक होगा और उन्हें किसी भी दशा में भारत सरकार और म.प्र.शासन के किसी अधिकारी द्वारा “भारत न लौटने की बाध्यता होने विषयक प्रमाण-पत्र” जारी नहीं किया जायेगा।

(12) ऐसे छात्रवृत्ति गृहिता जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने से पूर्व राज्य अथवा भारत सरकार अथवा राज्य या केन्द्र [क्षेत्र] के सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी हों उन्हें संबंधित राज्य शासन/ सार्वजनिक उपक्रम में भारत लौटने के पश्चात् पाँच वर्ष तक सेवा करनी होगी। तथापि, म.प्र.शासन ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे, छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण राशि का भुगतान करने पर इस शर्त को विलोपित कर सकेगा।

(13) अभ्यर्थियों को उस देश का उपयुक्त बीमा स्वयं प्राप्त करना होगा जहाँ अध्ययन के लिए यह छात्रवृत्ति प्रदान की गई है और बीजा जारी करने वाले प्राधिकारी [कृपया] यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल इस प्रकार का बीजा जारी किया जाये, जिससे अभ्यर्थी को विदेश में अपना पाठ्यक्रम [विशेष] पूरा करने की अनुमति हो और तदुपरान्त वह भारत वापस लौट आये। बीजा प्राप्त करने में म.प्र.सरकार अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं करायेगी।

(14) चयनित अभ्यर्थियों को उनके प्रस्ताव से पूर्व ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे और ऐसे अनुबंध निष्पादित करने होंगे जैसे कि म.प्र.शासन द्वारा

समय-समय पर निर्धारित किये जायें।

(15) यदि छात्रवृत्ति गृहिता ने किसी दशा में अधिक भुगतान प्राप्त कर लिया हो, तो उसे म.प्र.सरकार को उसे लौटाने का दायित्व होगा और उसके नियोक्ता (यदि कोई हो) को इस बात के लिए अधिकृत किया जाता है कि वह ऐसी आधिक्य भुगतान की गई राशि को छात्रवृत्ति गृहिता से वसूल कर लें और मध्यप्रदेश सरकार के अनुरोध पर उसकी प्रतिपूर्ति मध्यप्रदेश सरकार को कर दे।

(16) म.प्र.सरकार का विनिश्चय समय-समय पर उद्भूत सभी मामलो में अंतिम होगा।

(17) म.प्र.शासन इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति से अध्ययन कर रहे व्यक्ति के संबंध में संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से प्रति छःमाह में प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करेगा। संबंधित संस्थान उन गंभीर प्रतिकूल स्थितियों के बारे में म.प्र.शासन को सूचित करेगा जिनकी वजह से छात्रवृत्ति को आगे जारी रखने या अन्यथा किसी बारे में निर्णय लेने की आवश्यकता है, तथापि संबंधित संस्थान चूककर्ता छात्रवृत्ति गृहिता को समय-समय पर प्रतिवेदन में अपनी उपलब्धियों को सुधारने के लिए गंभीर प्रयास करने की सलाह देंगे और वे यह भी स्मरण दिला सकेंगे कि इस योजना के अन्तर्गत दी जा रही छात्रवृत्ति की समयावधि को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

(18) यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाये जिसमें पी. एच.डी. अथवा पी.एच.डी. उपरान्त शोध कर रहे छात्रवृत्ति गृहिता द्वारा मूलतः पंजीकृत विश्वविद्यालय/संस्थान से उसका शोध निर्देशक पद त्याग कर गया हो और उसका तत्काल कोई विकल्प उपलब्ध न हो अथवा उस विश्वविद्यालय/संस्थान ने उसे शोध समर्थन देना बंद कर दिया गया हो जहाँ छात्रवृत्ति गृहिता द्वारा पी.एच.डी./पी.एच.डी. उपरान्त शोध अध्ययन कर रहा है वहाँ उसे म.प्र.शासन की संतुष्टि एवं सहमति से विश्वविद्यालय/संस्थान बदलने की अनुमति दी जा सकेगी, बशर्ते छात्रवृत्ति गृहिता द्वारा अपने मूल विश्वविद्यालय/संस्थान में अर्जित उपलब्धियों को दूसरे विश्वविद्यालय/संस्थान में अन्तरित किया जाये एवं ऐसे स्थानान्तरण /परिवर्तन के बाद भी छात्रवृत्ति की कुल अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसा छात्रवृत्ति की सम्पूर्ण अवधि के दौरान सिर्फ एक ही बार किया जा सकेगा।

(19) किसी विषय विशेष में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अथवा पी.एच.डी.अथवा पी.एच.डी.उपरान्त शोध अध्ययन सम्पन्न करने के लिए छात्रवृत्ति देने हेतु संभावित उम्मीदवारों का चयन करने हेतु म.प्र.शासन द्वारा एक समिति गठित की जाएगी और छात्रवृत्ति के लिए चुने जाने की सूचना के दिनांक से प्रत्याशी को दो वर्ष का समय दिया जायेगा। प्रत्याशी को चयनित

पाठ्यक्रम हेतु विदेश प्रस्थान करने से पूर्व म.प्र.शासन को इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी कि इस बीच प्रत्याशी ने किसी भारतीय विश्वविद्यालय से ऐसी योग्यता अर्जित नहीं कर ली है अथवा किसी भारतीय विश्वविद्यालय में ऐसे योग्यता के लिए सक्रिय संभावनायुक्त अपनी अंतिम थीसिस प्रस्तुत नहीं की है। म.प्र.शासन अभ्यर्थी से ऐसी घोषणा प्राप्त होने के उपरान्त सम्यक रूप से यह निर्णय लेगा कि योजना के अन्तर्गत क्या प्रत्याशी को छात्रवृत्ति प्रदान की जाये अथवा नहीं और अभ्यर्थी का विदेश प्रस्थान इस निर्णय पर निर्भर करेगा।

(20) ऐसे प्रकरणों में जहाँ छात्रवृत्ति गृहिता को उसके द्वारा अध्ययन किये जा रहे पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निम्नतर श्रेणी का मूल्यांकन दिया जाता है (जैसे पी.एच.डी. के स्थान पर एम.फिल. प्रदान किया जाना) तो म.प्र.शासन उन परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और अभिनिश्चित करेगा कि क्या ऐसा छात्रवृत्ति गृहिता की शैक्षिक अक्षमता की वजह से हुआ अथवा इसके पीछे छात्रवृत्ति गृहिता के समक्ष कोई अन्य विपरीत परिस्थितियाँ थीं जैसे पाठ्यक्रम निर्देशकों का बार-बार बदला जाना, कुछ अवधि के लिए निर्देशक का ही न होना, चिकित्सीय प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थन होने पर अभ्यर्थी का मानसिक परिपीडन इसके उपरान्त ही म.प्र.शासन

छात्रवृत्ति गृहिता को चूककर्ता घोषित करने या न करने का निर्णय लेगा। ऐसे प्रकरणों में म.प्र.शासन लघुतम दूरी से इकॉनामी दर्जे का भारत वापसी का वायुमार्ग का किराया उपलब्ध करायेगा और यदि छात्रवृत्ति गृहिता को चूककर्ता घोषित किया गया है तो सम्पूर्ण धनराशि, उस पर देय ब्याज सहित छात्रवृत्ति गृहिता से वसूली योग्य होगी।

(21) यदि छात्रवृत्ति गृहिता विदेश में अपना पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेने के बाद एक माह से अधिक अवधि के पश्चात् भारत वापस लौटता है तो उसे वापसी किराये की प्रतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी।

(22) अभ्यर्थी से संबंधित ऐसे सभी अप्रत्याशित मामलों में म.प्र.शासन संबंधित विभागों/एजेन्सियों के परामर्श से निर्णय लेगा, जिसके बारे में इस लिखित योजना में उल्लेख नहीं किया गया है और इस संबंध में म.प्र.शासन का निर्णय अंतिम और छात्रवृत्ति गृहिता पर बंधनकारक होगा।

## 8. वित्तीय सहायता

(1) नीचे दी गई वित्तीय सहायता की दरें सामाजिक न्याय विभाग के प्रत्याशियों के लिए विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति हेतु म.प्र.शासन द्वारा निर्धारित मापनदण्डों के अनुरूप और तदनुसार समय-समय पर सामाजिक न्याय विभाग आयुक्त, सामाजिक न्याय संचालनालय द्वारा पुनरीक्षित की जा सकेगी।

- (2) **निर्वाह भत्ते का मूल्य** इस योजना के अन्तर्गत सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों के लिए वार्षिक निर्वाह भत्ता 7700 अमरीकी डॉलर निर्धारित किया गया है। इंग्लैण्ड (यूके) में प्रत्याशियों के लिए योजना में सभी स्तरों के पाठ्यक्रमों हेतु वार्षिक निर्वाह भत्ता 5000 पाउंड स्टर्लिंग होगा।
- (3) **शोध/ अध्यापक सहयोगवृत्ति से आय** छात्रवृत्ति गृहिता उन्हें अनुमत निर्धारित भत्तों के अलावा अमेरिकन डॉलर 2400 इंग्लैण्ड (यूके) में पाउण्ड स्टर्लिंग 1560 प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा के अधधीन शोध/अध्यापन सहयोगवृत्ति प्राप्त कर सकेंगे। निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक होने पर तदनुसार योजनान्तर्गत उनके निर्वाह भत्ते में से कटौती की जायेगी।
- (4) **आकस्मिकता भत्ता** किताबों, आवश्यक उपकरणों/अध्ययन यात्रा/ टंकण और थीसिस की जिल्दबंदी के लिए 500 अमरीकन डॉलर और इंग्लैण्ड (यूके.) में प्रत्याशियों हेतु 325 पाउण्ड स्टर्लिंग वार्षिक आकस्मिक भत्ता देय होगा।
- (5) **टोल टैक्स** जहाँ कहीं देय होगा, वास्तविक खर्च देय होगा।
- (6) **बीजा शुल्क** वास्तविक बीजा शुल्क का भुगतान भारतीयों रूपयों में किया जायेगा।
- (7) **उपकरण भत्ता और अनुषंगी यात्रा खर्चे** रूपये 1100 का उपकरण भत्ता और अमेरिकन डॉलर 15 का अनुषंगी यात्रा भत्ता अथवा भारतीय रूपये में समतुल्य अनुमत है।
- (8) **शुल्क और बीमा प्रीमियम** वास्तविक खर्च दिया जायेगा।

- (9) वायुयान किराया शैक्षणिक संस्थान के निकटतम स्थान तक वायुमार्ग से जाने एवं वापसी का लघुतम वायुमार्ग से ईकानामी दर्जे का किराया उपलब्ध कराया जायेगा।
- (10) स्थानीय यात्रा उतरने के पत्तन (पोर्ट) से अध्ययन के स्थान तक जाने एवं वापसी यात्रा हेतु द्वितीय श्रेणी का रेल किराया / दूरस्थ स्थानों के प्रकरण में, जो कि रेल से न जुड़े, रहने के स्थान तक आने-जाने का बस किराया, फेरी द्वारा उतराई का वास्तविक मूल्य निकटतम रेल सह वायु स्टेशन तक का वायुमार्ग से किराया अथवा लघुतम मार्ग से उतरने के पत्तन (पोर्ट) तक आने-जाने का द्वितीय श्रेणी रेल किराया देने की अनुमति होगी।
- (11) म.प्र.शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर आयोजित चयन साक्षात्कार देने के लिए प्रत्याशी को निवास स्थान से संबंधित शहर तक आने-जाने के लिए द्वितीय श्रेणी का रेल किराया / साधारण श्रेणी का बस किराया दिया जायेगा।

ऊपरनिर्दिष्ट वित्तीय सहायता के भुगतान का तरीका म.प्र.शासन द्वारा निश्चित किया जायेगा।

## 9. छात्रवृत्ति की अवधि

(1) विहित वित्तीय सहायता संबंधित पाठ्यक्रम / शोध के पूरा होने अथवा निम्नांकित अवधि, जो भी पहले पूरी हो, तक के लिए देय होगी।

(क) पी.एच.डी. उपरान्त शोध डेढ वर्ष,

(ख) पीच.एच.डी. 4 वर्ष,

(ग) स्नातकोत्तर उपाधि 2 वर्ष,

(2) मात्र संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा (साथ ही विदेश स्थित भारतीय दूतावास द्वारा) इस आशय की प्रमाणित अनुशंसा प्राप्त होने पर कि एक विशिष्ट समयावधि तक के लिए अधिक रूकना पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए नितान्त आवश्यक है, विचार किया जा सकेगा। तथापि इस बारे में अंतिम निर्णय एकमेव म.प्र.शासन पर निर्भर करेगा।

(3) इस योजना का क्षेत्राधिकार चुने हुए अभ्यर्थी को विशिष्ट विषयों में उच्चतर अध्ययन के लिए विहित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना में छात्रवृत्ति गृहिता को नियोजन उपलब्ध कराना शामिल नहीं है और न ही छात्रवृत्ति पूरी करने के बाद कहीं उसे नियोजन प्राप्त करने में कोई सहायता ही उपलब्ध कराना है।

#### 10. इस योजना के अन्तर्गत चूक

यदि किसी प्रकरण में कोई अभ्यर्थी जो विदेश में अध्ययन कर रहा है स्वयं को इस बारे में निष्पादित बंधपत्र की शर्त और दशाओं का उल्लंघन करता है और यदि संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के अध्ययन के बारे में म.प्र.शासन को प्रतिकूल प्रतिवेदन सूचित किया जाता है अथवा प्रत्याशी वह देश छोड़कर अन्यत्र चला जाता है अथवा लापता हो जाता है अथवा किसी अन्य



विश्वविद्यालय/संस्थान में अथवा पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेता है अथवा आकस्मिक परिस्थिति में बिना म.प्र. शासन को सूचित किये भारत लौट आता है तो उसे चूककर्ता घोषित कर दिया जायेगा एवं उस पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि मय 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के लौटाने हेतु छात्रवृत्ति गृहीता दायित्वाधीन होगा और यदि प्रत्याशी मांग पत्र भेजे जाने के दिनांक से छः माह के भीतर उसे नहीं लौटाता तो शेष राशि पर देय सामान्य ब्याज के अतिरिक्त 2.5 प्रतिशत ब्याज भारित होगा। यदि अभ्यर्थी शोध राशि मय ब्याज के म.प्र. शासन द्वारा निर्दिष्ट अनुसार अदा कर पाने में विफल रहता है तो बंधपत्र निष्पादित करने वाले उसके जमानतदार इस सम्पूर्ण राशि के भुगतान हेतु उत्तरदायी होंगे और इसमें विफल रहने पर संबंधित जिले का कलेक्टर इसे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल करेगा।

## 11. चयन पद्धति

(1) यह योजना उसका संक्षिप्त ब्यौरा देते हुए समाचार पत्रों में विज्ञापित की जायेगी। प्रत्याशी अपनी सक्षमता और उपयुक्तता निर्धारण करने के बाद, विहित प्रपत्र में जो कि विज्ञापन का ही अंग होगा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, सामाजिक न्याय को आवेदन कर सकेंगे (नियोजित प्रत्याशी उपयुक्त प्रणाली से आवेदन भेजेंगे) विज्ञापन में आवेदन करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख

किया जायेगा। निश्चित दिनांक तक प्राप्त समस्त आवेदन पत्र संवीक्षा हेतु गठित समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(2) संवीक्षा समिति द्वारा लघुकृत प्रत्याशियों को साक्षात्कार के लिए चयन समिति के समक्ष बुलाया जायेगा। योग्यता निर्धारण के लिए चयन समिति के तैयार की गई प्रावीण्य सूची जो गुणानुक्रम से हरेक प्रत्याशी के आंकलन के आधार पर बनेगी, अंतिम और निर्णायक रूप से चयन प्रक्रिया को सम्पन्न कर देगी। दो प्रत्याशियों के बीच समानता की दशा में उनके बीच चयन उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के प्रमाण-पत्र में दर्ज उनकी जन्मतिथि के आधार पर होगा अर्थात् जो आयु में वरिष्ठतम होगा उसे चुना जायेगा।

(3) संवीक्षा समिति और चयन समिति का गठन म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जायेगा।

## 12. असत्य जानकारी का दिया जाना

(1) यदि कोई प्रत्याशी ऐसे दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करता है जो असत्य ठहराई जाये, वह इस वृत्ति के लिए अयोग्य माना जायेगा और यदि उसने वृत्ति प्राप्त कर ली है तो उसके विरुद्ध वसूली की कार्रवाई संस्थित की जायेगी जो कि उस पर व्यय धनराशि पर 15 प्रतिशत ब्याज सहित होगी।

(2) ऐसा प्रत्याशी भविष्य के लिए काली सूची में डाल दिया जायेगा और उसके इस कृत्य के लिए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु संबंधित नियोक्ता से म.

प्र.शासन पहल करेगा।

(3) अतः संबंधित नियोक्ताओं से भी अनुरोध किया जाता है कि वे इस विभाग को आवेदन अग्रेषित करने से पूर्व आवेदन की विषयवस्तु की अच्छी तरह पड़ताल कर लें। ऐसे नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित अभ्यर्थी कार्मिकों से अपने नियम निर्देशों के अनुसरण में आवश्यक और जैसे वे उचित समझे वैसे बंधपत्र निष्पादित कराने हेतु स्वतंत्र है।

(4) इस योजना से उद्भूत मामलों पर किसी वाद के निराकरण के लिए भोपाल स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार रहेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार,

( टीनू जोशी)  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय विभाग

मध्यप्रदेश शासन,  
सामाजिक न्याय विभाग,  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 24/11/2008

क्रमांक/एफ-3-36/2008/26-2/

विभाग, मंत्रालय द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति नियम-2008, क्रमांक/एफ-3-36/2008/26-2 दिनांक 12-8-2008 द्वारा जारी किये गये है ।

/मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय

अतः उपरोक्त नियम में निम्नलिखित कंडिका सम्मिलित की जाती है :-

13 "योजना क क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति"

"उक्त योजना के क्रियान्वयन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य निराश्रित निधि मद से की जायेगी "

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

( टीनू जोशी )  
प्रमुख सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामाजिक न्याय विभाग,

## सामाजिक न्याय संचालनालय, मध्य प्रदेश

1250, तुलसी नगर, भोपाल 462003

(म0प्र0 के निःशक्तजन के अभ्यर्थियों हेतु विदेश में उच्च शिक्षा योजना )

### आवेदन पत्र

वर्ष-----

आ.पत्र क.

प्रति,

आयुक्त,  
सामाजिक न्याय संचालनालय,  
तुलसी नगर 1250  
भोपाल म0प्र0

प्रमाणित विकलांगता  
दर्शाता नवीन पासपोर्ट  
साईज छायाचित्र

- आवेदक का पूरा नाम— (श्री / श्रीमती / कु.).....उपनाम.....
- पिता / पति का नाम —श्री.....
- जन्म तिथि.....
- जन्म स्थान.....
- राष्ट्रीयता.....
- किस राज्य का निवासी.....
- धर्म
- जाति .(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछडा वर्ग / सामान्य).....
- निःशक्तता प्रमाण पत्र (मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी) जिला..... क्रमांक..... दिनांक.....
- निःशक्तता की प्रकार (अस्थि / दृष्टि / श्रवण बाधित)..... एवं प्रतिशत..... ।
- पता:— 1. वर्तमान पता :—  
म.नं.,.....ग्राम / नगर.....(पि. को.....) (मोबाईल नं.....)  
(ई.मेल आईडी).....मोहल्ला,..... तहसील,.....  
जिला ..... म0प्र0
- डाक पता :—  
म.नं.,.....ग्राम / नगर.....(पिन कोड.....)  
मोहल्ला,..... तहसील,.....जिला ..... म0प्र0
- स्थायी पता :—  
म.नं.,.....ग्राम / नगर.....(पिन कोड.....)  
मोहल्ला,..... तहसील,.....जिला ..... म0प्र0
- व्यक्तिगत प्रशिक्षण / व्यवसायी परीक्षाएं उत्तीर्ण (हायर सेकेण्डरी या समकक्ष योग्यता) :—

विश्वविद्यालय / संस्थान / बोर्ड	परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र / श्रेणी / पुरस्कार	वर्ष	प्राप्तांक प्रतिशत	कक्षा श्रेणी	विषय

13. प्रकाशित अनुसंधान/पुस्तक का विवरण कोई हो तो (कृपया अलग से जानकारी संलग्न करें।)

14. व्यक्तिगत रोजगार विवरण :-

कार्यालय/ संस्था	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	कार्यालय छोड़ने का दिनांक	पद	कार्य का स्वरूप	मासिक वेतन

15. यदि किसी छात्रवृत्ति हेतु पिछले 2 वर्षों में आवेदन किया गया है, जानकारी दें।

16. क्या आपके संबंधियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है ? यदि हाँ तो नाम, संबंध एवं वर्ष बतावें।

17. प्रस्तावित शिक्षण हेतु नाम, विषय, अवधि, अनुसंधान विषय, यदि हो तो कम से कम 500 शब्दों में जानकारी दें।

18. उपाधि कार्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति देने के लिये प्रस्तुत किया गया :-

19. विदेश में संस्था की जानकारी :- (1) किसमें आवेदन किया (2) किस विषय के इच्छुक है

20. यदि आपने प्रवेश लिया है तो :- (1) संस्था (2) विषय (3) प्रस्तावित है तो, पत्र व्यवहार की छायाप्रतियां दे (4) प्रवेश दिनांक

21. विदेश के पश्चात भारत में संभावनाएँ:-

22. आपातकाल में भारत में अधिसूचित व्यक्ति का नाम

- (1) पूरा नाम
- (2) पूरा पता
- (3) टेलिफोन एवं फेक्स नंबर
- (4) ई-मेल आई डी
- (5) संबंध

पूर्ण सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ कि मेरे परिवार अथवा अभिभावक मे से कोई भी सदस्य को छात्रवृत्ति नहीं दी गई। उपरोक्त जानकारी/पृविष्टियाँ मेरी जानकारी अनुसार सही हैं। उपरोक्त जानकारी असत्य होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति के लिये प्रथम बार आवेदन किया गया है।

हस्ताक्षर  
आवेदक का नाम

## घोषणा

मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी ज्ञान एवं सज्ञान तथा प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है कोई भी असत्य जानकारी पाये जाने पर मुझे उक्त लाभ से वंचित किया जा सकता है ।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान,  
दिनांक

नोट:— आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। (1) जन्मतिथि प्रमाणिकरण हेतु हायर सेकेण्डरी प्रमाण पत्र (2) जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय (3) समस्त उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र अंक सूची सहित (4) आय प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय (5) सर्विस वाले आवेदक अपने कार्यालय/संस्था का नाम (6) निःशक्तता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त।

जिले के कलेक्टर की अनुशंसा



जिला चिकित्सालय जिला.....  
निःशक्तजनों के लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र  
प्रमाण पत्र

विकलांगता दर्शाता (नवीन) पासपोर्ट साइज फोटों
---

हम जिला चिकित्सालय.....  
के सदस्य यह प्रमाणित करते हैं कि हमने श्री / श्रीमती / कुमारी.....  
आत्मज / आत्मजा / पत्नि / अभिभावक.....की आयु.....  
निवासी..... परीक्षण किया और पाया कि  
श्री / श्रीमती / कुमारी.....निम्नलिखित निःशक्तता  
से पीड़ित है। .....

1. अंधता (दृष्टि बाधित)
2. कम दृष्टि
3. कुष्ठ रोग मुक्त
4. श्रवण शक्ति का ह्रास (श्रवण बाधित)
5. चलन निःशक्तता ( अस्थि बाधित)
6. मानसिक मंदता
7. मानसिक रुग्णता

दिनांक.....

भारत सरकार के समाज कल्याण के गजट, नोटिफिकेशन क्रमांक 4-2-83  
एच डब्लू iii दिनांक 6.8.86 के अनुसार इसकी निःशक्तता की प्रतिशत.....  
.....शब्दों में.....है तथा वह  
माइल्ड / मोडरेड / सीवियर / प्रोफाउन्ड / टोटल (निःशक्तता की श्रेणी में आते है / निःशक्तता  
की श्रेणी में नहीं आते है। ) यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .....  
.....इंजीनियरिंग / पोलेटेकनिक / आई.टी.आई. / बी.एड / डिप्टी बी.टी.आई  
पाठयक्रमों के अध्ययन हेतु शारीरिक रूप से सक्षम है। यह प्रमाण पत्र जारी करने की  
तिथि से तीन वर्ष के लिये वैध रहेगा।

मुक्त बोर्ड के सदस्य

अध्यक्ष,  
जिला मेडिकल बोर्ड  
जिला चिकित्सालय जिला.....



म0प्र0 के मूल निवासी प्रमाण पत्र

क्रमांक

दिनांक -----

- यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/ कुमारी-----  
-----आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री -----जो तहसील -----  
-----जिला ----- मध्यप्रदेश का निवासी है, क्योंकि वह :-
- 1- मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है ।  
अथवा
  - 2- वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्षों से रह रहा है ।  
अथवा
  - 3- उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है, जो मध्यप्रदेश में सेवारत है ।  
अथवा
  - 4- वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पांच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय रखते है ।

इसके अतिरिक्त

- 1- उसने अपनी शिक्षा म0प्र0 में स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है, जिसमें कक्षा एक से पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी ।  
अथवा
- 2- उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित, परीक्षाओं में से कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है ॥  
(क) 10//2 प्रणाली की दसवीं//बारहवीं कक्षा की परीक्षा ॥  
(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा ॥

-----  
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर  
पदनाम एवं सील

टिप्पणी: जो अंश आवश्यक न हों उन्हें काट दिया जावे ॥

## आय प्रमाण पत्र

क्रमांक / आ.प्र.प. / 20 /

स्थान, दिनांक

में पूर्ण जानकारी के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि—

- (1) श्री / श्रीमती / कुमारी.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....  
का स्थायी निवास, म.न.,.....ग्राम / नगर.....  
मोहल्ला,..... तहसील,..... जिला..... म0प्र0 हैं।
- (2) श्री / श्रीमती / कुमारी.....जाति.....की है  
और उसकी उपजाति.....उसका धर्म.....  
है।
- (3) छात्र / छात्रा के पिता / माता / अभिभावक को 31 मार्च सन् 20 को समाप्त होने  
वाले वित्त वर्ष की समस्त स्रोतों से (छात्र द्वारा आय, अगर सम्मिलित हो तो  
सम्मिलित करते हुए) वार्षिक आय रू0.....(शब्दों में).....  
.....रू0 थी। पिता / माता / पति जीवित न होने पर ही अभिभावक की आमदनी  
दर्शायी जाए।

प्रमाण-पत्र देने वाले के हस्ताक्षर

पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में.....

पद नाम.....

पता.....

मुहर.....

**नोट—1.ऐसे प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे जिस पर प्रमाण पत्र देने वाले  
अधिकारी की मुहर न लगी हो।**

2. यह प्रमाण-पत्र बहुत ही महत्व पूर्ण दस्तावेज है तथा छात्रवृत्ति मुख्यतः इस  
प्रमाण-पत्र के आधार पर दी जसति है, अतः प्रमाण-पत्र देने वाले अधिकारी को यह  
सलाह दी जाती है कि वह यथोचित सावधानी बरतते हुए, यह प्रमाण पत्र जारी करे।
3. आय संबंधी प्रमाण-पत्र देने के लिये निम्नांकित सक्षम होंगे।

- 1— शासकिय / अशासकिय संस्थाओं में  
कार्यरत व्यक्ति के आय के संबंध में  
2— कृषको के संबंध में  
3— आयकर का भुगतान करने वाले  
4— दुकानदारों के मामले में  
5— उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य

नियुक्ति कर्ता अधिकारी नियोजन का  
प्रमाण-पत्र  
राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र  
आयकर अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र  
विक्रयकर अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र  
संबंधित अनुविभागिय अधिकारी (राजस्व)  
तहसीलदार  
नायब तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये  
जाति प्रमाण-पत्र का प्रारूप

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग-----जिला-----मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक----- प्रकरण क्रमांक-----प्रमाण पत्र क्रमांक-----

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी -----  
पिता / पति का नाम-----निवासी-ग्राम / नगर-----  
वि.खं.-----तहसील-----जिला-----संभाग-----  
जाति / जनजाति का / की सदस्य है और इस जाति / जनजाति को संविधान के अनुच्छेद  
के 341 अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के रूप  
में विनिर्दिष्ट किया गया है और यह -----जाति / जनजाति अनुसूचित  
जाति एवं जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में  
अनुक्रमांक.....पर अंकित है ।

अतः श्री / श्रीमती / कुमारी-----  
पिता / पति का नाम-----अनुसूचित जाति / जनजाति का / की  
है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी-----  
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये .....है ।  
दिनांक.....

हस्ताक्षर  
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम  
पदनाम

(सील)

## टिप्पणी

- (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित जनजाति ।
- (2) केवल निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र मान्य होंगे ।  
(अ) कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर/एस.डी.ओ. (अनुविभागीय अधिकारी) उप संभागीय मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट, (ब) तहसीलदार (स) तहसीलदार (द) परियोजना प्रशासक/अधिकारी, वृहत/मध्यम/एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना ।

यह प्रमाण पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर

म0प्र0 के अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर )  
अभ्याथियो के लिये जाति प्रमाण-पत्र का प्रारुप

जाति प्रमाण पत्र  
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग-----जिला-----मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक

प्रकरण क्रमांक.....

प्रमाण पत्र क्रमांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री-----  
आत्मज-----निवासी/ग्राम-----  
वि0ख0-----तहसील -----जिला संभाग-----  
मध्यप्रदेश के निवासी है जो-----जाति के हैं, पिछडा वर्ग के रूप में,  
मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की  
अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसंबर 1984 की अनुसूचि में  
क्रमांक-----पर जाति/उपजाति/वर्ग समूह में अधिमान्य किया गया है !  
(पिता का नाम)श्री----- और/या उनका परिवार  
सामान्यतः म0प्र0 के जिला -----संभाग -----में निवास  
करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि (पिता का नाम)श्री-----  
-----क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग)व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है जिसका  
उल्लेख भारत सरकार कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिचय पत्र क्रमांक  
360/2/22/ 93/स्था(एम सी टी)दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम 3 में  
तथा म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक  
एफ-7-16/2000/2001/अ.प्र. दिनांक 6 जुलाई 2000 की अनुसूचित क्रं. 6  
आय/संपत्ति आंकलन भाग (क) संशोधित कांलम (3) में किया गया है !

दिनांक-----

प्राधिकृत अधिकारी का नाम

सील

पदनाम -

**म0प्र0 शासन  
सामाजिक न्याय विभाग  
साक्ष्यांकन फार्म**

म0प्र0 के निःशक्त छात्र/छात्राओ को विदेश में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना आवेदन एवं अन्य प्रपत्र वर्ष 20.....

उम्मीदवारो को चाहिये कि आवेदन को भर कर तथा प्रमाण पत्र पर किसी राजपत्रित या किसी संसद सदस्य अथवा राज्य विधान मंडल के किसी सदस्य से हस्ताक्षर कराकर यह फार्म आवेदन पत्र जिला कलेक्टर की अनुशंसा कराते हुये आयुक्त सामाजिक न्याय संचालनालय 1250 तुलसी नगर भोपाल के पास मय सत्यापित अभिलेखो के साथ भेजें ।

1	पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो (स्पष्ट अक्षरो में) यदि आपने किसी समय अपने नाम या कुल नाम का कुछ अंश छोड दिया हो अथवा इसमें कुछ अंश जोड दिया हो तो उसका उल्लेख करें ।	उपनाम	नाम
2	निःशक्तता का प्रकार (दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित, अस्थि बाधित) तथा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया स्थाई प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता का प्रतिशत.	विकलांगता का प्रभार	मेडिकल बोर्ड का अस्थाई प्रतिशत/ प्रमाण पत्र जांच का दिनांक/ क्रमांक
3	वर्तमान पूरा पता (अर्थात ग्राम,थाना और जिला या मकान संख्या, गली और सडक) ईमेलआईडी ..... मोबाईल नं.		
4	क-स्थाई निवास स्थान का पूरा पता(अर्थात ग्राम,थाना और जिला या मकान संख्या, गली और सडक)		
	ख-यदि आप मूलतः पाकिस्तान के निवासी हो तो उस देश का पता तथा भारत में प्रवसन की तारीख ।		
5	आप गत वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय के लिये जिन स्थानो में निवास किया , का ब्यौरा लिखे :-		

	किस अवधि से	किस अवधि तक	निवास स्थान का पूरा पता (अर्थात् ग्राम थाना और जिला या मकान संख्या, गली और सडक)
6	क-पिता का पूरा नाम तथा उपनाम (यदि कोई हो)	क-	
	ख-वर्तमान डाक पता (यदि मृत्यु हो गई हो तो पिछला पता दें)	ख-	
	ग-स्थाई निवास का पता	ग-	
	घ-व्यवसाय	घ-	
	ड-यदि नौकरी करते हो तो पदनाम और कार्यालय का पता बतायें।	ड-	
7	1-इनकी राष्ट्रीयता बतायें:-		
	क-पिता	क-	
	ख-माता	ख-	
	ग-पति	ग-	
	घ-पत्नि	घ-	
	2-इनका जन्म स्थान लिखें:-		
	क-पति	क-	
	ख-पत्नि	ख-	
8	क-सही जन्म तिथि (इसवी के अनुसार)	क-	
	ख-वर्तमान आयु	ख-	
	ग-मेट्रिक पास करने के समय की आयु	ग-	
9-	क-अपने जन्म का स्थान, जिले और राज्य का नाम लिखे।	क-स्थान	राज्य जिला
	ख-आप किस जिले और राज्य के हैं? (विस्थापित व्यक्तियों के मामले में उस जिले और स्थान का उल्लेख किया जाना चाहिये जहां वे प्रवसन के बाद बस गये हो)	ख-स्थान जिला मुख्यालय डाक घर	राज्य जिला
10	क-आप का धर्म क्या है?	क-	
	ख-क्या आप सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछडा वर्ग या अल्प संख्यक है? जिस वर्ग से आपका संबंध है, उसका नाम तथा जाति लिखें।	ख- वर्ग-	
11	अपनी शैक्षणिक योग्यतायें लिखे तथा		

	15 वर्ष की आयु से आपने जिन स्कूलों और कॉलेजों में जिन जिन वर्षों में शिक्षा प्राप्त की हो उनका उल्लेख करें :-				
क्र.	स्कूल/कॉलेज का नाम तथा पूरा पता	प्रवेश की तारीख	छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की	
1	2	3	4		
1					
2					
3					
12	यदि आपने कभी शासकीय/अशासकीय नौकरी की हो तो उसका ब्यौरा दे :-				
	जिस पद पर आपने काम किया हो उसका नाम तथा काम का विवरण	अवधि कब से कब तक काम किया	अवधि कब तक काम किया	कार्यालय/फर्म या संस्था का पूरा नाम/पता	
1	2	3	4	5	
13	क्या आप कभी किसी अपराध के कारण अदालत द्वारा दोषी ठहराए गये हैं? "हां" या "न" में उत्तर दे। यदि उत्तर, "हां" में हो दोष सिद्ध और सजा का पूरा ब्यौरा, वर्तमान में निवास के थाने का चरित्र प्रमाण पत्र भी दें।				
14	अपने इलाके के दो जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम और पते लिखें जो अथवा ऐसे दो व्यक्तियों के नाम और पते लिखें जो आपको व्यक्तिगत/पारिवारिक रूप से जानते हों जमानतदारों का विवरण ::				
क्र.	जमानतदार का नाम	पूरा पता	दूरभाष/मोबाईल नंबर	यदि हो तो ई.मेल आई.डी.	हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6
1					
2					



मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उक्त सूचना मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है ।

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर.....

तारीख.....

निम्न प्रमाण पर किसी राजपत्रित अधिकारी या संसद सदस्य या राज्य विधान मण्डल के सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए।

### प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्री/श्रीमती/कु.....  
.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.....  
.....को पिछले.....वर्ष.....मास से जानता हूँ और उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया ब्यौरा मेरी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

स्थान.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

सील

पदनाम या हैसियत या पता.....

### स्वास्थ्य का प्रमाण— पत्र

म0प्र0 समुद्र पार छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन पत्र — परीक्षा का स्थान.....

परीक्षा की तारीख.....

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तिथि पर — छात्रा का नाम आयु लिंग  
परीक्षण किया तथा पता

निम्नलिखित स्थितियों में से किसी एक के विशेष साक्ष्य के लिये मैंने परीक्षण किया:

### श्रेणी "क"

यक्ष्मा

(किसी भी प्रकार का)

कुष्ठ

(भयानक संक्रामक रोग)

## भयानक संक्रामक रोग

एक्टिनोमाइसीजता	लीशमैनियतो
अमोबिकता	लिम्फोग्रेनुलोमा वेनीरियम
ब्लास्टोमाइसीजता	माइसीटोमा
शैकराम	पैरागोनिमस-रूग्णता
फेवस	शिरोवल्क दद्रु
फाइलेरिया रोग	सोहलस्टोसामाट्सिस
सुजाक	सिफिलिस संक्रामक अवस्था
ग्रैनुलोगा वक्षण	ट्रकोमा
स्वच्छपटल श्लेष्मलशोध	ट्रिपेनोसोमता
संक्रमण	याज

### मानसिक स्थिति

क्षीणबुद्धिता (मानसिक न्यूनताएं)	हृदयवाहिक
मानसरोग	स्त्री रोग
मानसरोग के आक्रमण से पहले एक या अधिक हुए	मनोविकृत व्यक्तित्व इलोपसी अज्ञानहेतुक मानसिक दोष चिरकारी मदात्यय

### श्रेणी 'ख'

शारीरिक दोष, रोग, अथवा अशक्तता डिग्री में गंभीर अथवा अस्थायी प्रकृति की जो सामान्य शारीरिक स्वस्थता से स्थायी रूप से दूर ले जाने वाले हैं।

## श्रेणी "ग"

छोटी अवस्थाएँ

नीचे दिये गये नं. 1 को चेक करे अथवा नं. 2 को पूरा करे

एक्सरे तथा नीचे दी गई अन्य रिपोर्टों सहित मेरा परीक्षण यह बताता है कि:-

- (1) कोई दोष, रोग अथवा अशक्तता नहीं है।
- (2) दोष, रोग, अथवा अशक्तता या मानस रोग के आक्रमण इससे पहले एक या अधिक होने का विवरण नीचे दिया गया है (श्रेणी क, ख अथवा ग-निदान अथवा संबंधित ब्यौरे दीजिये)।

- (अ) वक्ष एक्सरे रिपोर्ट.....  
.....डॉ.....से
- (ब) रक्त सीरमीय रिपोर्ट, डॉ.....से
- (स) मूत्र विश्लेषण की रिपोर्ट.डॉ.....  
से

### सारांश

मेरा विश्वास है कि .....(देश का नाम).....के कालेज/विश्वविद्यालय  
अथवा उद्योग में अपने अध्ययन/प्रशिक्षण के पूरे पाठ्यक्रम को दीर्घ समय तक पूरा करने में  
यह प्रार्थी शारीरिक रूप से समर्थ है ।

तारीख

स्थान

हस्ताक्षर  
पता  
(सरकारी मोहर)

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

टिप्पणी:- यह प्रमाण पत्र सिविल सर्जन/स्टाफ सर्जन जिला चिकित्सा अधिकारी/प्रेजीडेंसी  
सर्जन/सेना चिकित्सा दल के कमीशंड चिकित्सा अधिकारी/किसी चिकित्सा  
संस्थान में लगे हुए अवैतनिक सर्जन (केवल मद्रास राज्य सरकार में ) की ओर  
से होना चाहिए ।